S@MPADA STAMPS AND MANAGEMENT OF PROPERTY AND DOCUMENTS APPLICATION

ार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 38 /सम्पदा–16/2015 भोपाल, दिनांक 08/01/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,

उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सर्विस प्रोवाईडर के गैर अदालती स्टाम्प्स की राशि वापसी के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आपके जिले के कुछ सर्विस प्रोवाईडर जिनके पास पूर्व में स्टाम्प विक्रेता के रूप में क्रय किए गए गैर अदालती स्टाम्प्स हैं, उनकी राशि वापिस चाहते हैं, क्योंकि सम्पदा एप्लीकेशन में उनके द्वारा अब ई–स्टाम्पिंग की जा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे सर्विस प्रोवाईडर, जो उनके पास उपलब्ध गैर अदालती स्टाम्प्स की वापसी चाहते हैं, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुरूप बिना किसी कटौती के स्टाम्पों की राशि नियमानुसार वापस की जा सकती है। कृपया सर्विस प्रोवाईडर को यह भी समझाईश दें कि वे छोटे अभिधानों के गैर अदालती स्टाम्प्स अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि उनका विक्रय पक्षकारों को ऐसे दस्तावेजों के लिए किया जा सकता है, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 39 /सम्पदा–16/2015 भोपाल, दिनांक 08/01/2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।